



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 जुलाई, 2025 ई0

श्रावण 09, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या- 318377 / 2025 / XXVII (9) / स्टाम्प-42 / 2008 / ई0-48725

देहरादून, 31 जुलाई, 2025

### अधिसूचना

प0 आ0-49

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 10 सन् 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की दिनांक से उत्तराखण्ड स्टाम्प (ई-स्टाम्प प्रमाण पत्रों के माध्यम से शुल्क का संदाय) नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम 2 (1)(झ) एवं 25(4) के अन्तर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एन0ई0एस0एल0) के माध्यम से स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस0एच0सी0आई0एल0) के सहयोग से डिजिटल ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-खा में वर्णित उत्तराखण्ड राज्य में लागू गैर पंजीकरण योग्य उपकरणों के अन्तर्गत अनुच्छेद-26 कस्टम बांड (customs Bond) के लिए पेपरलेस ई-स्टाम्पिंग शुरू करने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 318377/2025/XXVII(9)/2023/Stamp-42/2008, dated July 31, 2025 for general information:

No. 318377/2025/XXVII(9)/Stamp-42/2008/E-48725,

*Dated Dehradun, July 31, 2025*

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to give assent to introduce paperless e-stamping for Article 26 Customs Bond under non registrable instruments as mentioned in Schedule 1-B of the Indian Stamp Act, 1899 as applicable in the State of Uttarakhand under rules 2(1) (i) and 25(4) of the Uttarakhand Stamp (Payment of duty by means of e-Stamp Certificates) Rules, 2011 (as amended from time to time), through digital e-stamping through National e- Governance Service Limited (NESL) in collaboration with Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL) from the date of publication of this notification in the Gazette.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

*Secretary.*